

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।  
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।  
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानुपर/वाराणसी।  
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2021

विषय:- दिनांक 17 मई, 2021 की प्रातः 07:00 बजे तक लागू कर्फ्यू को आंशिक कर्फ्यू के रूप में दिनांक 24.05.2021 की प्रातः 07:00 बजे तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया दिनांक 10.05.2021 की प्रातः 07:00 बजे से दिनांक 17.05.2021 की प्रातः 07:00 बजे तक कर्फ्यू लगाये जाने विषयक शासनादेश संख्या-827/2021-सीएक्स-3 दिनांक 09.05.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के क्रम में शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में दिनांक 17 मई, 2021 की प्रातः 07:00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनांक 24.05.2021 की प्रातः 07:00 बजे तक लागू रखा जायेगा।

3. उक्त कर्फ्यू की अवधि में कीटनाशक दवाओं की दुकानें तथा कृषि यन्त्रों से सम्बन्धित दुकाने खुली रखने की अनुमति होगी।


उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-827/2021-सीएक्स-3, दिनांक 09.05.2021 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,  
  
( अवनीश कुमार अवस्थी )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
  - (2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
  - (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
  - (4) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
  - (5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
  - (6) पुलिस महानिदेशक, अग्नि शमन सेवा, उत्तर प्रदेश।
  - (7) विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
  - (8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
( कुमार प्रशांत )  
विशेष सचिव।

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।  
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।  
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानुपर/वाराणसी।  
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 09 मई, 2021

विषय:- दिनांक 10 मई, 2021 की प्रातः 07:00 बजे तक लागू कर्फ्यू को आंशिक कर्फ्यू के रूप में दिनांक 17.05.2021 की प्रातः 07:00 बजे तक बढ़ाये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया दिनांक 06.05.2021 की प्रातः 07:00 बजे से दिनांक 10.05.2021 की प्रातः 07:00 बजे तक कर्फ्यू लगाये जाने विषयक शासनादेश संख्या-793/2021-सीएक्स-3 दिनांक 05.05.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के क्रम में शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में दिनांक 10 मई, 2021 की प्रातः 07:00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनांक 17.05.2021 की प्रातः 07:00 बजे तक लागू रखा जायेगा।

उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-793/2021-सीएक्स-3, दिनांक 05.05.2021 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।


संलग्नक-यथोक्त।

  
भवदीय,  
( अवनीश कुमार अवस्थी )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व/चिकित्सा स्वास्थ्य/पंचायती राज विभाग/चिकित्सा शिक्षा/ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश।
- (5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- (6) पुलिस महानिदेशक, अग्नि शमन सेवा, उत्तर प्रदेश।
- (7) गार्ड फाईल।

अम्झा से,  
  
( कुमार प्रशांत )  
विशेष सचिव।